आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities
महारत्न कंपनी

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना सेबी के दिनांक 14 अगस्त 2026 के परिपत्र संख्या एचओ/17/11/(2)2026-डीडीएचएस-पीओडी1/आई/18769/2026 के संदर्भ में **" व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों सहित ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (ओबीपीपी) हेतु विनियामक रूपरेखा में संशोधन"** के संबंध में जारी किया जाता है ।

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, सेबी में पंजीकृत सभी ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (ओबीपीपी) को **आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85** के अधीन जारी **सीजीटीई बॉण्डों** (पूर्ववर्ती धारा 54ईसी बॉण्डों) को अपने-अपने ऑनलाइन मंचों के माध्यम से निवेशकों को उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सेबी में पंजीकृत ओबीपीपी की सूची सेबी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर https://www.sebi.gov.in/online-bond-platform-providers.html. देखा जा सकता है:

सीजीटीई बॉण्ड को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा नियम और शर्तें, जिनमें पात्रता मानदंड, ब्याज दर और लॉक-इन अवधि शामिल हैं, अपरिवर्तित रहेंगे।

निवेशकों को सूचित किया जाता है कि ओबीपीपी के माध्यम से क्रय किए गए सीजीटीई बॉण्डों से संबंधित किसी भी शिकायत का निवारण संबंधित बॉण्ड जारीकर्ता द्वारा किया जाएगा।

सीजीटीई बॉण्डों से संबंधित किसी भी प्रश्न या सहायता हेतु, कृपया संपर्क करें:

निवेशक प्रकोष्ठ, आरईसी लिमिटेड
ई-मेल: Investorcell@recl.in.
टोल-फ्री: 1800-180-2992।

(हस्ताक्षरित)
नेहा शर्मा
उप महाप्रबंधक - रिटेल बॉण्ड्स